समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील -2869-PBR-16

प्रकरण कमांक /अपील/2015–16

23.8.16

आनंदकुमार उर्फ संजय ललवानी,
आयु लगभग 58 वर्ष,
आत्मज स्व. श्री सरदारमल ललवानी
निवासी–16 नादिर कालोनी, श्यामला हिल्स
भोपाल .... अपीलार्थी

विरूद्ध

ताहिरा अंसारी पुत्री स्व. श्री काजी जलालउददीन
निवासी मंसब मंजिल,
भोपाल .... रेस्पांडेन्ट

24/8/16

अधीक्षक
कमिश्नर
संभाग, भोपाल

अपील अंतर्गत धारा 44 (1) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनॉक 21.06.2016, पारित व्दारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल अंतर्गत प्रकरण कमांक 16/अंतरण/2015–16 पक्षकारगण आनंद कुमार विरूद्ध ताहिरा अंसारी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2869–पीबीआर / 16 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–9–2016	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की ओर से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार को तीन माह में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं और अपीलार्थी को तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील का अवसर प्राप्त है, अतः यदि वह तहसील न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो अपील के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है । अपर आयुक्त द्वारा की गई उक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत होने से उनके आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस अपील में नहीं है । अतः यह अपील आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	